<u>लोक सुनवाई वृत</u>

इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना के परिसर में स्थित सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र को अस्पताल के विस्तारीकरण के कारण इसे रामाचक बैरिया में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु पटना नगर निगम द्वारा 1.5 एकड़ भूखण्ड आई.जी.आई.एम.एस. को स्थानान्तरित किया गया। इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत टी.ओ.आर. (पर्यावरणीय विचारों) के आलोक में श्री वजैन उद्दीन अंसारी, अपर समाहर्ता पटना के अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक: 10.11.2018 को 12.30 बजे सदभावना सामुदायिक भवन सम्पतचक में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

उपस्थिति पंजी - अनुलग्नक : 1

लोक सुनवाई में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के वैज्ञानिक डा0 नवीन कुमार द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए आम नागरिकों को लोक सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया। इस लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक: 06.10.2018 को प्रकाशित किया गया था। इस योजना का ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं इसका कार्यपालक सार पर्षद् कार्यालय के साथ-साथ जिला पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में आम-जनों के अवलोकन हेतु उपलब्ध थी। लोक सुनवाई की कार्रवाई निम्नवत् है:-

स्वागत भाषण के उपरांत लोक सुनवाई के अध्यक्ष श्री वजैन उद्दीन, अपर समाहर्ता के आदेश से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार को सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा से संबंधित विस्तृत जानकारी देने के लिए अनुरोध किया गया। इसी बीच सुनवाई हेतु उपस्थित लोगों में से एक श्री उमेश सिंह, पिता-स्व0 हरिवंश सिंह, ग्राम-फतेहपुर, पटना द्वारा निम्नलिखित आपत्ति करते हुए लोक सुनवाई हेतु निम्नलिखित कारणों से दूसरी तिथि निर्धारित करने की मांग करने लगे:-

1. लोक सुनवाई 12.30 बजे प्रस्तावित था जो 2.30 बजे प्रारम्भ हुआ।
2. लोक सुनवाई हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं किया गया।
3. लोक सुनवाई प्रस्तावित स्थल पर होनी चाहिए। लेकिन इसे स्थल से लगभग 1 किलो मीटर की दूरी पर रखा गया।

इनके साथ अन्य 4-5 अन्य लोग भी हॉल से बाहर चले गये। इन लोगों के द्वारा उपस्थिति पंजी पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी।

उक्त आपत्तियों के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नवत् है:-

1. अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि छठ महा-पर्व के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने से संबंधित बैठक बापू सभागार में चल रही थी। इस कारण लोक सुनवाई प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ।
2. लोक सुनवाई की सूचना दिनांक: 06.10.2018 को पाँच स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाईम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित कराया गया था। उक्त सूचना के आलोक में ही आपत्तिकर्त्ता, उनके सहकर्मी तथा अन्य लोग उपस्थिति हुए थे।
3. सदभावना सामुदायिक भवन, सम्पतचक प्रखण्ड कार्यालय एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र के पास ही है जो स्थल से 1-2 किलो मीटर की दूरी पर है। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल पर लोक सुनवाई के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तत्पश्चात् अपर समाहर्ता के आदेशानुसार शेष उपस्थित लोगों के समक्ष सुनवाई जारी रखते हुए प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा प्रस्तावित इकाई के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। उनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित स्थल पर सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसमें 5 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले दो इनसिनेरेटर, जिसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित होगा, 5 टन प्रतिदिन क्षमता वाले एक ऑटोक्लेव एवं 3.3 टन क्षमता वाले श्रेडर संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस इकाई द्वारा निस्सारित वहिस्राव के समुचित उपचार के लिए 40 के.एल.डी. क्षमता वाले वहिस्राव उपचार संयंत्र की स्थापना भी प्रस्तावित है। इनसिनेरेटर के साथ मानकों के अनुरूप वायु प्रदूषण रोक-थाम हेतु संयंत्र भी स्थापित किये जाएगें। इकाई में लगभग 75 कर्मियों को नियोजित किया जा सकेगा, जिसमें यथा सम्भव स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना प्रस्तावित है।

उपस्थित लोगों में से दो श्री विकास कुमार एवं श्री अशोक कुमार ने पूछा की इस इकाई के आने से क्या इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेगें ? इसके उत्तर में प्रस्तावक द्वारा पुनः सूचित किया गया कि इकाई में विभिन्न कार्यों के लिए करीब 75 कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसमें यथासम्भव स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है, जिससे स्थानीय लागों के जीवन एवं आस-पास के क्षेत्र के भौतिक और सामाजिक ढ़ाँचे में सुधार अपेक्षित है। प्रस्तावक ने आस्वश्त किया की इकाई आस-पास के पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए इकाई प्रतिबद्ध है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की कार्रवाई पूरी की गयी।

(नन्द कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता

<u>उपस्थिति सूची</u>

मे० संगम मेडिसर्व प्रा० लि०, रामचक बैरिया, अंचल-सम्पतचक, पटना द्वारा सामान्य जीव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा स्थापित करने हेतु प्रस्तावित परियोजना की स्थापना स्वीकृति हेतु दिनांक **10.11.2018** (शनिवार) को **12:30** बजे अपराह्न में सदभावना सामुदायिक भवन, सम्पतचक, जिला-पटना के प्रांगण में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	वज़ैन उद्दीन अन्सारी	अपर समाहर्ता, पटना	[signature] 10/11/18
2.	नन्द कुमार	प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला परिषद पटना	[signature] 10/11/18
3.	Shailendra Kumar Singh	Sr. Bio-Medical Engineer, I.G.I.M.S. – Patna	[signature] 10/11/2018
4.	Parwez Ahmad Khan	APRO	[signature] 10.11.18
5.			
6.	Mrityunjay Kr Singh	S.A (B.S.P.C. Bd)	[signature]
7.	Ajay Singh	Sampatchak Bairya	A Kumar
8.	Anup kumar	Sanpat chauk	[signature]
9.	Anup Sinha	Sampat chak	[signature]
10.	Ankit kumar	Sampat chak	Ankit
11.	राकेश कुमार	लालगंज शायरा	राकेश कुमार
12.	RS Singh	सम्पतचक	R.S. Singh
13.	रामशीष केवट	सम्पतचक	
14.	अमरजीत कुमार	सम्पतचक	Amarjeet
15.	B.K. Pandey	सम्पतचक	[signature]
16.	RANJEET KUMAR	Sampat Chak	Ranjeet
17.	Vikas Kumar	सम्पतचक	VKumar
18.	रामेश्वर सिंह	रामचक बैरिया, पटना	रामेश्वर सिंह

	नाम	पता	हस्ताक्षर
19.	Bipin Kr. Singh	Sampat chak	B. Singh
20.	[illegible]	[illegible], मेन रोड	[signature]
21.	Ashu Kr Pandey	Sampat chak	Ashu
22.	Ashok Kumar	Nazdik zero mile	Ashok
23.	Subhash	Sampat chak	[signature]
24.	Dr. Ratnakumar Mudliar	Env. Consutant	[signature]
25.	Mr. Vikash Jangir	Env. Consultant	Vikash
26.	HARI OM SHARAN DWIVEDI	Sangam mediserve Pvt. Ltd.	Hari om Shar.
27.	राकेश रावत	[illegible]	[signature]
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			